प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो चुकी 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

❐ राइस मिलर अघोषित हड़ताल से आ रहे वापस

❐ राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार हो रही वृद्धि

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कियाजा चुका है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं। राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक रायपुर संभाग में 14.52 लाख मीट्रिक टन, बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन, दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।

प्रदेश में कुल 27.78 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 10.66 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें 2.92 लाख लघु एवं सीमांत कृषक और 6.26 लाख दीर्घ कृषक शामिल हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक विपणन संघ द्वारा 10,770 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित की जा चुकी है। इसके तहत, संबंधित किसानों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि स्थानांतरित की जा रही है।किसानों की सुविधा हेतु उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार, पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50:50 अनुपात में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन के लिए 4 लाख गठान नए बारदानों की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3.65 लाख गठान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष बारदान अगले 15-20 दिनों में प्राप्त हो जाएंगे।

अब तक पीडीएस बारदानों के रूप में 54,153 गठान, मिलर बारदानों के रूप में 1,40,924 गठान और किसान बारदानों के रूप में 12,747 गठान उपयोग किए जा चुके हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में बारदानों की कोई कमी नहीं है।

उपार्जित धान के संग्रहण और भंडारण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस वर्ष भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 37.25 लाख मी.टन कर दिया गया है। जिन केंद्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान जमा हो रहा है, वहां परिवहन आदेश जारी कर निकटतम संग्रहण केंद्रों में धान का परिवहन किया जा रहा है। अब तक 9.09 लाख मीट्रिक टन धान के परिवहन आदेश जारी किए जा चुके हैं।

कस्टम मिलिंग के लिए 2133 मिलरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1672 राइस मिलरों का पंजीकरण हो चुका है। इन मिलरों को 3.37 लाख मीट्रिक टन धान के वितरण आदेश जारी किए गए हैं।

धान उपार्जन में रिसाइक्लिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है । अब तक 733 प्रकरण दर्ज कर 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित निगरानी की जा रही है। नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों पर भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का कार्य भी जारी है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं । राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है।

खरीदी केंद्रों से धान उठाव ने पकड़ी रफ्तार : उपार्जन केंद्रों से 4934 मे. टन धान का हुआ उठाव, किसानों को 189 करोड़ का हुआ भुगतान

❐ मिलर अनुबंध कर धान खरीदी के लिए कटवा रहे डीओ

रायगढ़

रायगढ़ जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान खरीदी सुचारू रूप से चालू है। धान खरीदी हेतु किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा समितियों में समुचित व्यवस्था के साथ ही ऑनलाइन टोकन जारी करने, बारदाने की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तौल जैसे इंतेजाम किए गए हैं। उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के पश्चात किसानों को तत्काल भुगतान भी जारी किया जा रहा है।

धान खरीदी के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा रायगढ़ जिले में खरीदी केंद्रों से मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी शीघ्रता से करवाया जा रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5274 मे.टन का डीओ काटा गया है जिसमें से 1972.56 मे.टन धान का उठाव कर लिया गया है। वहीं 6021 मे. टन का टीओ जारी किया गया है। जिसमें से 2962 मे. टन का उठाव समितियों से कर लिया गया है। इस प्रकार कुल 4934 मे.टन धान का उठाव समितियों से किया जा चुका है।

रायगढ़ जिले में 85 हजार 122 किसान धान विक्रय हेतु पंजीकृत हैं। 105 धान उपार्जन केंद्रों में अब तक 1 लाख 687 मे.टन धान खरीदी की जा चुकी है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया मिलर्स के द्वारा धान उठाव के लिए अनुमति प्राप्ति के साथ बैंक गारंटी और एफडीआर करवा कर लगातार डीओ कटवाया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में धान उठाव में और तेजी आएगी।

किसानों को 189 करोड़ का भुगतान- धान खरीदी के पश्चात किसानों को उसका भुगतान भी तत्काल किया जा रहा है। अब तक हुई खरीदी के एवज में किसानों को 189 करोड़ 35 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जो कि अब तक हुई कुल खरीदी का 86 प्रतिशत है। शेष भुगतान के लिए जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट कर बैंक को भेज दी गई है। जो जल्द जारी हो जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

सर्पदंश के दो प्रकरण में 8 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत सर्पदंश के दो प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान अनुसार नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान रशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत तहसील कापू ग्राम-विजयनगर के सुखराम यादव की 11 जून 2024 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनके पिता धनसाय को 4 लाख रुपये तथा तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-सोखामुड़ा के सुकमोती राठिया की 30 मई 2023 को सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर उनके पुत्र रामलाल राठिया को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी

रायगढ़। संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम-2013 में दिए गए प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी, ड्रेसर ग्रेड-01, ड्रेरसर ग्रेड-2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष पद एवं डार्क रूम असिस्टेंट के रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हुए रायगढ़ जिले के स्वास्थ्य संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है। उक्त सूची जिले के वेबसाईट www.raigarh.nic.in एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय,रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन

वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 19 को

रायगढ़। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क)अनुसार वार्डो के आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार रायगढ़ जिले के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में आम निर्वाचन 2024-25 हेतु वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 19 दिसम्बर 2024 शाम 4 बजे से कलेक्टोरेट रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में की जाएगी। इनमें नगरीय निकाय नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत घरघोड़ा, नगर पंचायत धरमजयगढ़, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर एवं नगर पंचायत पुसौर शामिल है। इच्छुक व्यक्ति वार्डो के आरक्षण कार्यवाही में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते है।

मातृ एवं शिशु अस्पताल में अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़

जिले के मातृ एवं शिशु अस्पताल में अग्निशमक एवं सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पतालों में अग्निसुरक्षा उपायों के बारें में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। कार्यक्रम में अस्पताल के सभी स्टॉफ को आग की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इस बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मातृ एवं शिशु अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ.अभिषेक अग्रवाल,डॉ.आशीषन मिंज डॉ.नेहा पटेल, फायर ऑफिसर अनिल वैद्य, विपिन कुमार खलखो, प्रमोद कुमार जोगी, सुमित कुमार केसरवानी, फायर स्टाफ टीम के द्वारा आग की संपूर्ण जानकारी और डेमो के माध्यम से आग बुझाने की प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से बचने के लिये सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। सभी अस्पतालों में सक्रिय अग्निशमक तंत्र पर जोर दिया। उन्होंने किसी भी घटना के मामले में किए जाने वाले उपायों को विस्तार से सूचीबद्ध किया और कहा किसी भी प्रणाली को तैयार करने के लिये पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए एवं ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में समस्त मातृ एवं शिशु अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति रही।

बालोद में ट्रक और कार की टक्कर से 7 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल

बालोद

जानकारी के अनुसार हादसा रविवार की रात की है। बताया गया कि 7 सीटर जायलो कार में 13 लोग सवार थे। जिले के डौंडी थाना क्षेत्रान्तर्गत चोरहापड़ाव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को ठोकर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। 13 लोग कार में ही घंटों फंसे रहे। जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक बच्चे, 4 महिला 1 पुरुष शामिल हैं।

अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंच पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और तत्काल डौंडी सामुदायिक स्वास्थ केंद्र भेजा गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से 1 की मौत उपचार के दौरान हो गई।

नामकरण संस्कार से लौट रहा था परिवार- बताया गया कि कार में सवार लोग नामकरण संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डौंडी से गुरेदा लौट रहे थे। इसी दौरान डौंडी थाना क्षेत्र के चोरहापड़ाव के पास कार को दल्लीराजहरा से भानुप्रतापपुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार सभी लोग बालोद, महासमुंद और कवर्धा के निवासी बताए जा रहे हैं।

20 मई को कवर्धा में हुई थी 19 लोगों की मौत- कवर्धा जिले के बाहपानी के बंजारी घाट में 20 मई को कई परिवार उजड़ गए। वाहन के अनियंत्रित होने से 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव को मातम में बदल गया था। इसमें कई लोग एक ही परिवार के थे। एक परिवार से पति-पत्नी, तीन परिवार के मां और बेटी भी इस दुर्घटना के शिकार हो गए। बता दें कि सभी मृतक तेंदूपत्ता संग्रहक परिवार पहाड़ी से थे, जो तेंदूपत्ता तोड़कर वापस अपने गांव जा रहे थे।

हादसे में सात की मौत, सीएम ने जताया शोक - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बालोद जिले के भानुप्रतापपुर-दल्लीराजहरा मार्ग पर हुए भीषण सडक़ हादसे में 7 लोगों के अकस्मात मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे में मृत लोगों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति तथा उनके शोक संतप्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया है।

कोटपा एक्ट के तहत 8 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही

❐ नियमों का पालन करने हेतु दिए गए निर्देश

रायगढ़

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के. चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में आज जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के आस-पास स्थित पान ठेलाओ में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के सविता रानी साय, ड्रग इंस्पेक्टर तथा सिटी कोतवाली पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 2000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड के संबंध में जानकारी दी गई।

कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेष द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर लंबाई 60 से.मी. व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता। धारा 7 के तहत बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहाँ तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहाँ कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है।

उक्त चालानी कार्यवाही में सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहभागिता रही। उक्त गतिविधि से शहर में बढ़ते नशे की नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग ने आपसी समन्वय स्थापित कर समय-समय पर चलानी कार्यवाही किया जा रहा है जिससे रायगढ़ शहर को नशा मुक्त किया जा सके।

महाकुंभ के लिए सारनाथ एक्सप्रेस फिर से बहाल

रायपुर । आरएनएस

प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को पुन: संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मंगलवार 17 दिसंबर से फिर से नियमित रूप से दौड़ेगी। इस ट्रेन का संचालन करने की घोषणा रेलवे को प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले को ध्यान में रखकर करना पड़ा। रेलवे ने पिछले दिनों उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे का हवाला देते हुए दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दो दिसंबर से 27 फरवरी तक अलग-अलग दिनों में रद कर दिया था। रेलवे के इस फैसले का विभिन्न संगठनों के अलावा यात्रियों ने विरोध करते हुए इस ट्रेन की नियमित सेवा की मांग की थी। चौतरफा दवाब पडऩे पर रेलवे प्रशासन को यह फैसला वापस लेना पड़ा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में कुंभ मेला लगने जा रहा है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे की 77 ट्रेनों के साथ छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली सारनाथ को भी कोहरे के कारण 76 दिन तक(तीन माह के लिए) अलग-अलग दिनों में रद किया था। अब फिर से सारनाथ के चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। संगठनों और नेताओं ने रेलवे के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही भविष्य में भी सारनाथ एक्सप्रेस को कोहरे के कारण रद न करने की मांग की है।

पूर्वी साजापहाड़ इलाके में 6 दिनों से घूम रही बाघिन का सफल रेस्क्यू : एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने बाघिन को किया ट्रैंकुलाइज

रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के रिहायशी इलाकों में बीते एक सप्ताह से विचरण कर रही बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।

सरगुजा से वन संरक्षक (वन्यप्राणी) केआर बढ़ई की अगुवाई में बाघिन को रेस्क्यू करने कानन पेंडारी से डॉ. पीके चंदन, तमोर पिंगला एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर से डॉ. अजीत पांडेय व जंगल सफारी रायपुर से डॉ. वर्मा पहुंचे थे। उनकी निगरानी में आज शाम 4 बजे बाघिन को रेस्क्यू कर सुरक्षित ले जाया गया। मादा बाघ को नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बघनच्चा दफाई के पास जंगल में ट्रैंकुलाइज किया गया। फिर उसे ग्रीन नेट से ढंककर पिंजरे में डाला गया। इसके बाद वन विभाग के ट्रक में लोड कर ले जाया गया। इस दौरान बाघिन को देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वन मुख्यालय रायपुर से निर्देश मिलने पर बाघिन को किसी टाइगर रिजर्व छोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के पूर्वी साजापहाड़ बीट में बाघिन के विचरण के प्रमाण मिलने के बाद से ही वन विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट रहकर लगातार निगरानी बनाए हुए था। बाघिन के विचरण क्षेत्र में वनों के चारों ओर गांव बसे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही थी। वन मंडलाधिकारी ने बाघिन के रेस्क्यू और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यप्राणी को पत्र लिखकर ट्रैंकुलाईजेशन और परिवहन की अनुमति भी मांगी थी।

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बाघिन के विचरण की पुष्टि ट्रैप कैमरा एवं प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। इसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय होकर ग्रामीणों और चरवाहों को सावधानी बरतने तथा जंगल ने जाने की लगातार हिदायत दे रहा था।

शीतलहर से कांप रहा समूचा छत्तीसगढ़

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दो वर्ष से भी कम पारा गिर गया है। रविवार को 12.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले 15 दिसंबर न्यूनतम तापमान में 12.8 डिग्री व दो दिसंबर को न्यूनतम तापमान में 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था।

इसके अलावा सरगुजा में भी पांच साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां 2019 में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया था। रविवार को पारा 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के उत्तरी भाग में कुछ पैकेट में शीतलहर चल रही है। साथ ही साथ उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ पैकेट में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। सरगुजा संभाग के अनेक जिलों में पाले की स्थिति बनी हुई है। अगले तीन दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों के न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों के न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। 17 दिसंबर से प्रदेश में बादल छाए रहने तथा 18 दिसंबर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।रविवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सुकमा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 02.4 डिग्री बलरामपुर में दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटों में दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दो दिनों में इसके और अधिक स्पष्ट होने व पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढऩे की संभावना है। जिससे आगामी तीन दिनों में मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री तक गिर गया है। अंबिकापुर में अधिकतम 23.6 डिग्री और न्यूनत तापमान 3.7 डिग्री, बीजापुर में अधिकतम पारा 29.2 और न्यूनतम 10.8 डिग्री, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम पारा 11.0 डिग्री दर्ज किया गया। दंतेवाड़ा में 28.9 डिग्री, न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री, डुमरबहार में अधिकतम 26.9 डिग्री और न्यूनतम 6.3 डिग्री रहा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480